-: राजस्थान सरकार:-

# न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर

(जीसीएमएस नं0 2023/52)

मु0नं0-36/2023

**उनवान -सरकार बनाम सुरेश चंद पुत्र श्री खूबचंद शर्मा, उम्र 58 वर्ष ,जाति ब्राहम्मण ,मैसर्स: बालाजी पनीर भण्डार , ज्ञानसरोवर कालोनी , ओंडेला रोड , धौलपुर ,निवासी ज्ञानसरोवर कालोनी , ओंडेला रोड , धौलपुर**

**(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii)/51,64एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 नियम 2011**

**दिनांक -29.01.2024**

## निर्णय

उक्त प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रस्तुत न्यायनिर्णयन आवेदन श्री पदम सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर ने अभियुक्त श्री सुरेश चंद पुत्र श्री खूबचंद शर्मा, उम्र 58 वर्ष ,जाति ब्राहम्मण ,मैसर्स: बालाजी पनीर भण्डार , ज्ञानसरोवर कालोनी , ओंडेला रोड , धौलपुर के विरुद्व अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा धारा 2(ii)/51,64 एफ0एस0एस0एक्ट 2006 रुल्स 2011 के तहत पेश किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 08.02.2023 को अभियुक्त/अप्रार्थी की डेयरी का निरीक्षण के दौरान डेयरी पर रखी टंकी में लगभग 50 लीटर मिश्रित दूध आम जनता के विकय करने हेतु रखा था। उक्त मिश्रित दूध में मिलावट का शक होने पर उक्त मिश्रित दूध में से 02 लीटर मिश्रित दूध का वास्ते नमूना जॉच अभियुक्त से खरीदा गया। उक्त मिश्रित दूध नमूना डी-2714 वास्ते जांच हेतु खाद्य विश्लेषक राजस्थान भरतपुर को भेजा गया। खाद्य विश्लेषक राजस्थान भरतपुर की जॉच रिपोर्ट एलएस/92/एसीटी/2023/138 दिनांक 17.02.2023 के अनुसार विकेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विकय किया गया गाय का मिश्रित दूध सबस्टैंडर्ड प्रकृति का होना पाया गया। विकेता का पूर्व में लिया गया नमूना डी-1990 दिनांक 10.11. 2020 भी अवमानक पाया गया था जिसमें जुर्माने से दण्डित किया गया था । अतः धारा 64 में जुर्माने योग्य अपराध है । न्यायनिर्णयन आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अभियुक्त/अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थी स्वंय उपस्थित हुआ। अप्रार्थी को आरोप नोटिस पढकर सुनाया गया। अप्रार्थी ने अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार किया तथा भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं करने एवं कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करने की प्रार्थना की।

हमने पैरोकार सरकार व अप्रार्थी को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार करने से प्रमाणित होता है कि अप्रार्थी ने उक्त सबस्टैडर्ड मिश्रित दूध का विकय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंघन किया है। इस प्रकार अप्रार्थी सबस्टैडर्ड मिश्रित दूध बेचने का दोषी है जो धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। साथ ही अप्रार्थी को पूर्व में लिये गये नमूना डी-1990 दिनांक 10.11.2020 में भी जुर्माने से दण्डित किया गया जा चुका है । इस प्रकार यह पश्चात्वर्ती अपराध की श्रेणी में धारा 64 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है ।

अतः अप्रार्थी श्री सुरेश चंद पुत्र श्री खूबचंद शर्मा, उम्र 58 वर्ष ,जाति ब्राहम्मण ,मैसर्स: बालाजी पनीर भण्डार , ज्ञानसरोवर कालोनी , ओंडेला रोड , धौलपुर निवासी ज्ञानसरोवर कालोनी , ओंडेला रोड , धौलपुर पर प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य संरक्षा के मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 एवं 64 के तहत